



Neutral Citation No. - 2026:AHC:178709

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

धारा 482 बीएनएसएस के तहत आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन संख्या

- 8293 वर्ष 2026

एलिस उर्फ कृष

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता : विवेक सिंह

प्रतिवादी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 72

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री विवेक सिंह तथा राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया और अभिलेख का परिशीलन किया गया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2. वर्तमान आवेदन आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 67 सन् 2025, धारा 101 एवं 190 बी.एन.एस., थाना हस्तिनापुर, जनपद मेरठ में अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक पूर्णतः निर्दोष है और वर्तमान मामले में उसे झूठा फंसाया गया है; उसका कथित अपराध से कोई संबंध नहीं है, इसके बावजूद पुलिस आवेदक को गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है। आगे प्रस्तुत किया गया कि पूर्व में आवेदक को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 08.05.2025 के आदेश के माध्यम से आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 14576 सन् 2026 में धारा 191(2), 105, 190 एवं 352 बी.एन.एस. के अंतर्गत नियमित जमानत पर रिहा किया गया था। अब आरोप निर्धारित किए जाने के समय धारा 101 एवं 190 बी.एन.एस. जोड़ी गई हैं। आगे यह तर्क दिया गया कि समान स्थिति वाले सह-अभियुक्त पंकज एवं योगेश को जोड़ी गई धारा 101 एवं 190 बी.एन.एस. के अंतर्गत नियमित जमानत प्रदान की गई है। अन्य सह-अभियुक्त आदेश को जोड़ी गई धाराओं के अंतर्गत इस न्यायालय द्वारा एनएबेल संख्या 1810 सन् 2026 में अग्रिम जमानत प्रदान की गई है। आवेदक का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदक जांच एवं विचारण के दौरान सहयोग करने तथा जांच एजेंसी अथवा संबंधित न्यायालय द्वारा जब भी अपेक्षित हो, उपस्थित होने का वचन देता है। यह भी कहा गया है कि यदि आवेदक को अग्रिम जमानत प्रदान की जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा, जांच में सहयोग करेगा तथा न्यायालय द्वारा अधिरोपित की जाने वाली सभी शर्तों का पालन करेगा।

4. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया है, तथापि, उन्होंने तथ्यों के पहलू पर विवाद नहीं किया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. मैंने दोनों पक्षों के परस्पर विरोधी तर्कों को सुना है तथा अभिलेख का परिशीलन किया है।

6. सुशीला अग्रवाल और अन्य बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) और अन्य, (2020) 5

एस सी सी 1 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने के आवेदन पर विचार करते समय न्यायालय को अपराध की प्रकृति, व्यक्ति की भूमिका, उसके द्वारा जांच की दिशा को प्रभावित किए जाने अथवा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ किए जाने, जिसमें साक्षियों को भयभीत करना भी सम्मिलित है, तथा न्याय से बचकर भाग जाने, जैसे कि देश छोड़कर चले जाने की संभावना आदि पर विचार करना होता है। आगे यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि अग्रिम जमानत प्रदान की जाए अथवा अस्वीकार की जाए, इस पर विचार करते समय न्यायालयों को सामान्यतः अपराधों की प्रकृति एवं गंभीरता, आवेदक को आरोपित भूमिका तथा मामले के तथ्यों जैसे विचारों द्वारा निर्देशित होना चाहिए। अग्रिम जमानत प्रदान की जाए अथवा नहीं, यह न्यायिक विवेक का विषय है।

7. सिद्धार्थ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य, (2022) 1 सर्वोच्च न्यायालय केसेस 676 में माननीय

उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता हमारे संवैधानिक अधिदेश का एक महत्वपूर्ण पहलू है। जांच के दौरान किसी अभियुक्त को गिरफ्तार करने की आवश्यकता तब उत्पन्न होती है जब अभिरक्षा में जांच आवश्यक हो अथवा अपराध जघन्य हो अथवा साक्षियों को प्रभावित करने की संभावना हो अथवा अभियुक्त के फरार होने की संभावना हो। मात्र इसलिए कि गिरफ्तारी की जा सकती है क्योंकि वह विधिसम्मत है, यह आवश्यक नहीं हो जाता कि गिरफ्तारी की ही जाए। गिरफ्तारी करने की शक्ति के अस्तित्व और उसके प्रयोग के औचित्य के बीच अंतर किया जाना चाहिए। यदि गिरफ्तारी को नियमित बना दिया जाए, तो इससे किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान को अपूरणीय क्षति हो सकती है। यदि विवेचना अधिकारी के

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



पास यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि अभियुक्त फरार हो जाएगा या समन का पालन नहीं करेगा और वास्तव में उसने पूरी जांच के दौरान सहयोग किया है, तो अधिकारी के लिए अभियुक्त को गिरफ्तार करना अनिवार्य नहीं है।

8. अग्रिम जमानत के संबंध में विधि के सुस्थापित सिद्धांत, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क, आरोप की प्रकृति, आवेदक की भूमिका तथा मामले के सभी संबद्ध तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने का मामला बनता है।

9. तदनुसार, अग्रिम जमानत आवेदन निम्नलिखित निर्देशों के साथ **स्वीकार** किया जाता है:-

(i) उपर्युक्त मामले में सम्मिलित आवेदक- **एलिस उर्फ कृष** की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे विचारण की समाप्ति तक अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा, बशर्ते कि वह संबंधित थाने के थाना प्रभारी अथवा संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए ₹50,000/- का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करे;

(ii) आवेदक जांच के दौरान विवेचना अधिकारी के साथ सहयोग करेगा तथा जांच किए जाने के प्रयोजन से जब भी अपेक्षित हो, विवेचना अधिकारी के समक्ष उपस्थित होगा;

(iii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो जाए; तथा

(iv) आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



10. किसी भी शर्त के उल्लंघन अथवा दुरुपयोग की स्थिति में, लोक अभियोजक/विवेचना अधिकारी/प्रथम सूचनादाता-शिकायतकर्ता, आवेदक को प्रदान की गई अग्रिम जमानत निरस्त किए जाने हेतु संबंधित न्यायालय के समक्ष उचित आवेदन प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

24 अगस्त, 2026

नितेंद्र